65
3-10

संख्याः— /XXIV(6)/2017-32(4)/12

प्रेषक,

एम0एम0 सेमवाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
दून विश्वविद्यालय,
देहरादून।

शिक्षा अनुभाग—6 (उच्च शिक्षा) देहरादून, दिनॉक 07 सितम्बर ~~अगस्त~~, 2017

विषयः—वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक के मानक मद संख्या—20 सहायक अनुदान में प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक के पत्र संख्या—183/94/FC-DU/2017 दिनांक 29.08.2017 के सन्दर्भ में एवं वित्त विभाग, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या—610/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017—18 के आय—व्ययक में मानक मद—20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद में **प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड़ मात्र)** की धनराशि संलग्न विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0 संख्या— के अनुसार अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुये व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(1) धनराशि आहरण व व्यय करने में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के देयक पर निदेशक/उप निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जायेंगे।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी।

(4) विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत् वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो।

(5) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य निर्देशों/ आदेशों के अन्तर्गत शासन अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें आहरण/व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 भाग–1 के पैरा–162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिये जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2202–सामान्य शिक्षा, 03–विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा, 102–विश्वविद्यालयों को सहायता, 05–दून विश्वविद्यालय, 20–सहायक अनुदान/अंशदान /राजसहायता की सुसंगत इकाई के नामे डाला जायेगा।

संलग्नकःयथोपरि।

भवदीय,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव।

संख्या–881 (1)/XXIV(6)/2017-32(4)/12, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक/उप निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी।
6. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बी0डी0 बेलवाल)
उप सचिव।